न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :– 13/2016(राजस्व वाद) दायर दिनांक – 11.4.2016

फैसल दिनांक– 22.1.2018

1– मोहन पिता कचरा रोत जाति भील निवासी अम्बाडा तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री हरीश पिता मणीलाल सुथार निवासी अम्बाडा
2– श्रीसुरेश पिता मणीलाल सुथार निवासी अम्बाडा
3– कमला बेवा मणीलाल सुथार निवासी अम्बाडा
4– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी –राकेश बुनकर
वाद अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की वर्तमान जमाबन्दी दिनांक 18.3.2016की खेवट खतोनी संख्या 237/239 के खातेदार मोहन पिता कचरा रोत निवासी अम्बाडा के खसरा नम्बर 1609/1 रकबा तीन बीघा सोलह बिस्वा पटवार हल्का अम्बाडा तहसील सागवाडा में स्थित है । उक्त खाते की सीमा पर ही खतोनी संख्या 208/210 दिनांक 18.3.2016 के जमाबन्दी खसरा नम्बर 1610 रकबा सोलह बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि के नामान्तरकरण संख्या 1537/16.7.2015 के बंटवारा अनुसार प्रतिवादीगण के हिस्से में वर्तमान जमाबन्दी में अंकित होकर मौजा अम्बाडा में स्थित है । यह कि खाता संख्या 237/239 के खातेदार मोहन पिता कचरा रोत के खसरा नम्बर 1609/1 रकबा 3बीघा 16 बिस्वा व खाता संख्या 208/210 प्रतिवादीगण के नामान्तरकरण संख्या 1537/16.7.2015 के बंटवारानुसार प्रतिवादीगण के हिस्से में अंकित है उक्त दोनो खसरानम्बरों के बीच सीमा विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है । यह कि उक्त खसरा नम्बर 1609/1 एवं 1610 के मध्य सीमा विवाद को लेकर वादी ने दिनांक 4.9.2002 को उक्त वादी के खसरा नम्बर 1609/1 का सीमांकन करा कर पर्चा मौका बनवाया था उक्त पर्चा मौका अनुसार 1609/1 एवं 2974 में एक गट्टा भूमि अतिक्रमण पाया गया । यह नपती वर्तमान पटवारी के पास उपलब्ध नक्षा लठ्ठा में की गई जिस पर प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख जिलाधीश डूँगरपुर के हस्ताक्षर दिनांक 8.3.1979 के है । पर्चा मौका पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित ग्राम पंचायत अंबाडा के सरपंच व मोतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये । यह कि उक्त पर्चा मोका अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने की बात कही थी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में अवैद्ध अतिक्रमण नहीं हटाकर वादी के खातेदारी जमीन पर परकोटा निर्माण कर दिया है जिस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है । यह कि वादी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

कर लिया है उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो वादी को आर्थिक व मानसिक क्षति होगी ।

वादी द्वारा वाद के अन्त में मोजा अम्बाडा के वर्तमान खाता नम्बर 237/239 के खसरा नम्बर 1609/1 रकबा तीन बिघा सोलह बिस्वा के सिमा विवाद की जानकारी श्रीमान तहसीलदार साहब सागवाडा के द्वारा की जाने एवं वादी को उसकी भूमि की जानकारी दी जाने बाबत डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी खाता संख्या 237/239,208/210, नक्शा ट्रैस एवं सीमांकन पर्चा मोका की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

साक्ष्य के दोरान वकील वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार आदेश हेतु निवेदन किया जाने से वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई ।

वकील वादी ने बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी संख्या 1609/1 एवं 1610 के मध्य सीमा विवाद लम्बे समय से होना ,सीमांकन के दौरान पर्चा मोका अनुसार 1609/1 एंव 2974 में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया जाना तथा अतिक्रमण हटाने का कहने पर अतिक्रमण नहीं हटाकर वादी की खातेदारी भूमि पर परकोटा निर्माण कर लेना बताते हुए अतिक्रमण हटवाने एंव तहसीलदार सागवाडा से सीमा जानकारी कराये जाने ओदश एवं डिक्री हेतु निवेदन किया गया । वकील प्रतिवादी ने बहस में सीमा जानकारी हेतु सहमती दी ।

अतः वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को मोजा अम्बाडा के वर्तमान खाता संख्या 237/239 के खसरा नम्बर 1609/1 की सीमा की जानकारी वादी को कराये जाने आदेश दिया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/1/2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner